न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ)

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0) (5)

वाद पत्र सं0 : 278 सन 2018

अनवान :–

1. हरलाल पुत्र काशीराम जाति स्वामी निवासी ब्रहाम्णवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1. अमीलाल 2 मनीराम पि0 जेठाराम जाति जाट निवासी ब्रहाम्णवासी तहसील नोहर।
2. करतारसिह पुत्र पालसिह जाति जटसिख निवासी ब्रहाम्णवासी तहसील नोहर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादी
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी
निर्णय दिनांक – 31/08/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा ब्रहाम्णवासी के खाता संख्या 126 की 8.2830हैक्ट भूमि सयुक्त खाते में दर्ज है जिसमें वादी का 60 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 158–1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 276–2/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 160 हिस्सा दर्ज है।

वाद भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण ने बाहमी बटवारा कर रखा है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड मे भूमि सयुक्त तौर से दर्ज है वादी अपने हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से दर्ज करवाना चाहता है

वादी ने प्रतिवादीगण को अपने अपने हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया कुछ दिनां तक तो आज कल आज कल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से दर्ज करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ,3 सुचना के उपरान्त भी न्यायालय में उपसिथत नही आये प्रतिवादी संख्या 2 मनीराम की और से श्री नरेन्द्र किशोर अधिवक्ता उपस्थित आये एवं जबाब हेतु समय चाहा गया। प्रकरण राजस्व लोक अदालत कैम्प नोहर मे रखे जाने पर मजमे आम में उभयपक्षों की उपस्थिति में वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया गया की वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्सा एवं किस्म भूमि के अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करे।

तहसीलदार नोहर ने अपने पत्रांक 2863 दिनांक 01.09.2019 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये जो शामिल मिसल किया गया उक्त विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा आपत्ति की गई की प्रतिवादी संख्या 2 को विभाजन प्रस्ताव में टिलों एव उबड खबड भूमि दी गई है वादी का समतल भूमि दी गई है विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नोहर ने स्वय मौका देख कर नही बनाई गई है पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे।

वादी के अधिवक्ता ने ऐतराज विभाजन प्रस्ताव का जवाब पेश किया गया वादी के द्वारा खरीदी गई भूमि है जो बैयनामा दिनांक 22.01.2004 से खरीद की गई है खरीद के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

5

समय से जो भूमि दी गई थी उसी भूमि पर काबिज है उसी के अनुसार विभाजन प्रस्ताव आया है केवल वाद में देरीना करने के लिये ऐतराज किया गया है जो खारीज फरमाया जावे।

जबाब ऐतराज शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना जाकर दिनांक 18.02.2020 को पुनः विभाजन प्रस्ताव निर्देशानुसार तेयार करने हेतु आदेश पारित किये गये जिनकी पालना में तहसीलदार नोहर ने अपने पत्रांक 2820 दिनांक 21.08.2020 को विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये जो शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वादी के अधिवक्ता ने तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार का ऐतराज नही किया बल्की तहसीलदार नोहर का विभाजन प्रस्ताव उचित व्यक्त करते हुए विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खाता व लगान अलग अलग दर्ज करने का निवेदन किया गया ।

प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता ने तहसीलदार नोहर के प्रस्ताव पर ऐतराज जाहिर किया जाकर निवेदन किया की विभाजन प्रस्ताव किस्म भूमि व हक हिसस के अनसार नही है पुन विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने का निवेदन किया गया

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तहसीलदार नोहर का विभजान प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्सा के अनुसार किसी भी पक्षकार के हिस्से में किसी प्रकार का परिर्वतन नही है।

वाद भूमि में वादी की केवल 60 हिस्सा भूमि ही है जिसका खाता वादी अलग से राजस्व रिकार्ड में कायम करवाना चाहता है प्रतिवादीगण के हक हिस्सा की भूमि का तो विभाजन किया ही नही है वह अभी भी सयुक्त खाता में ही दर्ज है इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 का ऐतराज निराधार है केवल वाद में देरीना करने के लिये किया जाना प्रतित होता है सयुक्त खाते की भूमि में कोई भी खातेदार अपने हक हिस्सा के अनुसार खाता व लगान अलग से राजस्व रिकार्ड में कायम करवाने का अधिकारी है

अतः वादी का वाद तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि हरलाल पुत्र काशीराम जाति स्वामी साकिन देह खातेदार राहिन पीएनवी बैक शाखा नोहर रोही मौजा ब्रहाम्णवासी के खसरा न0 126/1 की 0.7590हैक भूमि एवं अमीलाल पुत्र जेठाराम 158–1/3 हिस्सा मनीराम पुत्र जेठाराम 276–2/3 हिस्सा जाति जाट , करतारसिह पुत्र पालसिह जाति जटसिख साकिन देह खातेदार रोही मौजा ब्रहाम्णवासी के खाता संख्या 126/2 की 7.5240हैक भूमि के खातेदार काश्तकार रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे प्रकरण खाता विभाजन का होने के कारण ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/– का स्टाम्प तकमीलन भामिल किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31/8/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

(8)

अन्तिम पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ)

अनवान :-

1. हरलाल पुत्र काशीराम जाति स्वामी निवासी ब्रहाम्णवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ वादी

बनाम

1 अमीलाल 2 मनीराम पि0 जेठाराम जाति जाट निवासी ब्रहाम्णवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

2 करतारसिह पुत्र पालसिह जाति जटसिख निवासी ब्रहाम्णवासी तहसील नोहर

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संख्या 278 सन 2018 निर्णय दिनांक- 31/8/2020

वाद अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर आर0ए0एस0 उपखण्डाधिकारी, नोहर के समक्ष अभिभाषक वादी / अधिवक्ता प्रतिवादी व पेरोकार राज की उपरिथिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर उभयपक्ष तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव पर सहमत होने के कारण वाद वादी तहसीलदार राजस्व नोहर के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि हरलाल पुत्र काशीराम जाति स्वामी साकिन देह खातेदार राहिन पीएनबी बैक शाखा नोहर रोही मौजा ब्रहाम्णवासी के खसरा न0 126/1 की 0.7590हैक भूमि एवं अमीलाल पुत्र जेठाराम 158-1/3 हिस्सा मनीराम पुत्र जेठाराम 276-2/3 हिस्सा जाति जाट , करतारसिह पुत्र पालसिह जाति जटसिख साकिन देह खातेदार रोही मौजा ब्रहाम्णवासी के खाता संख्या 126/2 की 7.5240हैक भूमि के खातेदार काश्तकार रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे प्रकरण खाता विभाजन का होने के कारण ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/- का स्टाम्प तकमीलन भामिल किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/08/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner